

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिक्सिटी
फैक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

दिनांक 21 JUN 2017

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/17/1217
प्रेषक,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

प्रति,

प्राचार्य/संचालक,
आईसेक्ट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन एण्ड टेक्नालॉजी,
छईगाँव माखन, खण्डवा (म.प्र.)

विषय:- विभिन्न प्रथम वर्ष पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन दिनांक 22.04.2017 के संदर्भ में विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.06.2017 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

क.	पाठ्यक्रम/विषय	शैक्षणिक सत्र	निर्णय
1	बी.ए. हिन्दी साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र) प्रथम वर्ष	2017-18	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2	बी.कॉम.(टेक्स अति.विषय के साथ) प्रथम वर्ष	2017-18	60 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- 1- Appointment of Principal and 02 teachers each in Arts and Commerce under college code 28 as early as possible.
- 2- Committee also recommends to appoint supporting staff for library, Computer Lab etc.
3. महाविद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्तियाँ कॉलेज कोड-28 के अनुसार तीन माह में एवं अन्य शर्तों की पूर्ति एक माह में कर कमियों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
4. परिनियम 28 की कण्डिका-3 के अनुसार एण्डोमेन्ट फण्ड की राशि रुपये एक लाख की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. कुलसचिव एवं महाविद्यालय के संयुक्त नाम से बनवाकर मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करें।
5. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. महाविद्यालय ऑन इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन aishe.gov.in पोर्टल पर प्रति वर्ष महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
7. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्व-पोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रुपये 10/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक 21 JUN 2017

पृष्ठा. क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/17/
प्रतिलिपि:-

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/शैक्षणिक विभाग एवं निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. रिकार्ड नस्ती

उपकुलसचिव(शैक्ष.)